आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–19 / 2023

16.05.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई।

इस वाद की ऑडियो कॉल से हुई सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो द्वारा आयोग को एक वीडियो क्लिप भेजा गया है, जिसमें इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की गई है कि अपीलकर्ता ने जो बातें कही है, वह सत्य नहीं है। गौरतलब है कि अपीलकर्ता ने आयोग को भेजे आवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि सम्बन्धित पंचायत में माह दिसम्बर, 2021 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरित नहीं किया गया। अपीलकर्ता की उपस्थिति में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो द्वारा यह बताये जाने पर कि मुखिया की उपस्थिति में पणन पदाधिकारी द्वारा जाँच की गई एवं जाँच में ग्रामीणों ने अनाज प्राप्त होने की बात कही है। जिस पर अपीलकर्ता का कहना है कि यदि अनाज वितरित किया गया है, तो इस आशय का Transaction report की प्रति समर्पित की जानी चाहिए। आयोग अपीलकर्ता की बातों से बिल्कुल सहमत है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को निर्देश देता है कि वीडियो फुटेज के माध्यम से जिन बातों को प्रमाणित करने की कोशिश की गई है उस आशय का अधिकारिक रसीद या दस्तावेज अथवा पोर्टल में मौजूद साक्ष्य पेश किये जाय, अन्यथा आयोग यह मानेगा कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो ने षडयंत्र के तहत् आयोग को गुमराह करने की कोशिश की एवं आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई करने को बाध्य होगा।

सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–30.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.05.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।